इस वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च 2012—फाल्गुन 12, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2012

फा. क्र. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक), (मैरिट क्र.-05).— शासन, श्री गौरव कुमार पुत्र श्री सुभाष चंद को मध्यप्रदेश निम्नस्तर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला हरिद्वार है. उसकी जन्मतिथि 08 दिसम्बर, 1982 है.

क्र. फा. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक), (मेरिट क्र.-10).— राज्य शासन, सुश्री चेतना पालीवाल पुत्री श्री देवेन्द्र कुमार पालीवाल को मध्यप्रदेश निम्नस्तर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है. उसकी जन्मतिथि 08 नवम्बर, 1982 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

16 (ii) The Memorendum of Understanding (MOU) to be signed with these companies will also be approved by Council of Ministers.

16 (iii) In the event of proposal for investment in the state receievd from top 20 IT companies, top 20 BPO employer companies and top 15 BPO export companies appearing in the latest list issued by the NASSCOM, they will be exempted from providing Bank Guarantee for the differntail amount of the market value of the land and the price fixed for the said land under the State Infromation Techology Policy.

16 (iv) In the event of Lease renewal of the land alloted to any of the Top 20 IT companies, top 20 BPO employer companies and top 15 BPO export companies appearing in the latest lists issued by the NASSCOM, no lease pemium will be charged on each such renewal.

2. Following amendments are incorporated in the Information Technology Policy 2006 of Government of Madhya Pradesh by incorporating point No. 17 after point No. 16 of para 5.b.v.—

17. In the event of proposal for investment in the state received under the IT policy and if government land has been alloted on the basis of that proposal, the lease rent will be charged at one percent per year of the actual lease premium payable by the company.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SUDHIR KUMAR KOCHAR, Under Secy.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2012

क्र. एफ. 30-4-2002-दस-तीन.—मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13 सन् 1984) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-4-2002-दस-3, दिनांक 22 जुलाई 2009 जो दिनांक 31 जुलाई, 2009 को ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित की गई थी, के तारतम्य में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोकहित में वन तथा पर्यावरण को संरक्षित करने उनकी संरक्षा की दृष्टि से नगरपालिक निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी के क्षेत्रों को छोड़ आरक्षित या संरक्षित वन की सीमाओं के बाहर 20 किलोमी रेडियस के भीतर के क्षेत्रों को, दिनांक 8 अगस्त 2012 से 3 वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रतिषि क्षेत्र घोषित करती है:

परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित की गई साधिका समिति द्वारा मुक्त किए गए क्षेत्रों जैसे बालाघाट जिले के किरनापुर, हिर्री, खैरलांजी, लांजी, दल्हापुर, लालबर्रा, मानपुर, अमलाझिरी तथा कोसमी और ऐसे समस्त क्षेत्र जिन्हें केन्द्रीय साधिकार समिति द्वारा मुक्त किया गया है या ऐसी आरा मशीनें (मिल्स) जिन्हें केन्द्रीय साधिकार समिति द्वारा उनके निरन्तर प्रचालन हेतु अनुज्ञात किया गया है, उक्त घोषित किए गए प्रतिषिद्ध क्षेत्रों से मुक्त रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2012

क्र. एफ. 30-4-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 30-4-2002-दस-3, दिनांक 15 फरवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 15th February 2012

No. F. 30-4-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Kasth Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984), and in continuation of this Department's Notification No. F. 30-4-2002-X-3, dated 22nd July, 2009 published in Madhya Pradesh Gazette on 31st July, 2009, the State Government, hereby, in order to conserve and protect forest and environment in public interest, declare the areas within 20 KM radius, outside the boundaries of the reserved of protected forest, except the areas of Municipal Corporation, Municipalties, Nagar Panchayat and Special Area Depvelopment Authoritites, to be prohibited area for the purpose of the said Act for a period of 3 years with effect from 8th August, 2012.

Provided that the areas exempted by the Empowerd Committee constituted by the Hon'ble Supreme Court